

समाहरणालय, कटिहार

आपदा प्रबंधन प्रशाखा



उदयन मिश्रा, भा०प्र०से०,
जिला पदाधिकारी, कटिहार

☎ :- 06452-230581(O) 06452-230583(R)
☎ :- +91-9473191375 फ़ैक्स :- 06452230880
E-mail :- d m-katihar.bih@nic.in

—:: आदेश ::—

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के CFMS Order No.- 3567/आ०प्र० दिनांक-19.08.2021 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्य बजट शीर्ष-2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02- बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-104-चारे की पूर्ति, उपशीर्ष-0001-चारे की आपूर्ति, विपत्र कोड 39-2245021040001 Allotment ID-422435 द्वारा विस्तृत शीर्ष-35-राहत, विषय शीर्ष 01 नगद/वस्तु, मांग संख्या 39 के अंतर्गत मो० 15,00,000.00 (पन्द्रह लाख) रूपये आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त आवंटन में से जिला पशुपालन पदाधिकारी, कटिहार को उनकी अधियाचना के आलोक में निम्न सारणीनुसार उनके नाम के सामने अंकित राशि का उपावंटन करते हुए निकासी की स्वीकृति दी जाती है।

निदेश दिया जाता है कि उपावंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक-1973/आ०प्र० दि०-26.05.2015 एवं 1721/आ०प्र० दिनांक-04.05.2021 के आलोक में "चारे की आपूर्ति" ईकाई मद के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय हेतु बाढ़ 2021 के दौरान प्रभावित पशुओं के जीवन रक्षार्थ पशुचारा की आपूर्ति/वितरण आदि में हुए/होनेवाले व्यय का भुगतान/समायोजन हेतु निर्गत किया जा रहा है। उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

उपावंटित की गई राशि की निकासी Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। निकासी के बाद व्यय की गई राशि का व्यय प्रतिवेदन बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में संबंधित भेजते हुए एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र उचित माध्यम से महालेखाकार कार्यालय बिहार/विभाग/जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार को अचूक रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

यह भी निदेशित किया जाता है कि कोषागार से राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखेंगे तथा व्यय नहीं होने की स्थिति में दिनांक 15.03.2022 तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन भेजना भी सुनिश्चित करेंगे। यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।


क्र०	निकासी एवं व्ययन पदा० का नाम	विभाग से जिला को प्राप्त आवंटन	शीर्ष 2245-02-104-0001 चारे की आपूर्ति ईकाई मद में उपावंटित राशि			अभ्युक्ति (अवशेष)
			पूर्व	वर्तमान	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7
1.	जिला पशुपालन पदाधिकारी, कटिहार	15,00,000/-	-	11,84,000/-	11,84,000/-	3,16,000/-
	कुल योग	15,00,000/-	-	11,84,000/-	11,84,000/-	3,16,000/-

मो० (ग्यारह लाख चौरासी हजार) रूपये मात्र।


जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक 1042/आ०प्र० II - 38/2021 दिनांक 24/08/2021

- प्रतिलिपि :- जिला पशुपालन पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाहरणालय, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- मेकर/चेकर, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
कटिहार।